न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 95 / 2023
GCMS CASE NO-2023/95

1.उमेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति ब्राहम्ण साकिन सूरतगढ

–अपीलांट

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री कमलदत्त शर्मा, अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट

:: निर्णय :: दिनांकः– 15.07.2024

1. अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 28.02..1986 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 444 / 4 में 6.325 है0, रकबा प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर खारिज कर दिया गया था जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न है।
2. तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 28.02..1986 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 444 / 4 में 6.325 है0, यानि 25.00 बीघा रकबा टीसी आवंटन था जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट रकम मालकाना जमा करवाता रहा है। उक्त रकबा का नवीनीकरण भी आवंटन से लेकर आज तक हो रहा है। रकबा मात्र प्रमाण पत्र पेश नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया। जो निरस्ती योग्य है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलदत्त शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर रकबे की खातेदारी लेने हेतु तहसील आया तब सिगेदार बाबू ने बताया कि उक्त रकबा तो दिनांक 28.02.1986 को खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी ने निर्णय की नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2023 को दिया तथा नकल दिनांक 23.08.2023 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।
5. धारा 5 मियादअधिनियम– यह कि जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर [illegible]। परंतु अपीलांट द्वारा निर्धारित तारीख पेशी तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई थी। इससे साबित है कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। मातहत न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था [illegible] आदेश पारित किया गया था। अपीलांट ने अपनी अपील मे कतई दर्जनहीं किया [illegible] जैरअपील आदेश की जानकारी नाहो, इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थी।अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने मे देरी की गईहै।अपीलांट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

लगभग 36 वर्ष बाद समय बाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की गई है, जो पूर्णतया मियाद बाहर है।अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद मे विलम्ब का कोई ठोस कारण स्पष्ट नही किया है।संतोषजनक कारण के अभाव मे अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है।कानूनी नजीर आरआरटी 2015 (2) पेजनम्बर 1090, आरआरटी 2015 (1) पेजनम्बर 232, आरआरटी 2002 पेज 33 आरआरटी 2010 पेज 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है।अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तरपर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 444/4 में 6.325 है0, यानि 25.00 बीघा रकबा टीसी आवंटन था। अपीलांटगण द्वारा आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवंटन से लेकर आज भी उक्त रकबा पर काबिज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है। रकम मालकाना जमा करवाता रहा है। उक्त रकबा का नवीनीकरण भी आवंटन से लेकर आज तक हो रहा है। अपीलांट को बिना सुने पीठ पीछे मात्र प्रमाण पत्र पेश नही करने का अंकन कर अपीलांट के नाम आवंटित रकबा खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय बिना न्यायिक विवेचन के पारित किया गया है एवं बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए पारित अपीलाधीन निर्णय अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य हैइसी प्रकार की आरआरडी 1992 पेज 117 पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ ने निर्णय किया है। कि

jurisdiction order passed without jurisdication however precise certain technically correct is an null oit and it is not only voidable, but void

इसलिए क्षेत्राधिकार विहीन आदेश दिनांक 28.02.1986 निरस्त योग्य है। अपीलांट के नाम रोही सूरतगढ के ख.न. 444/4 में 6.325 है0 यानि 25.00 बीघा बारानी रकबा टीसी आवंटन था जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है। इतने वर्षो से टीसी आवंटन भूमि पर आर्थिक एवं शारीरिक मेहनत से उपजाउ बनाया गया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय मातहत अदालत तहसीलदार सूरतगढ द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.02.1986 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

8. राजपैरोकार ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत आर आरडी 1992 पेज 431 के अनुसार A Lesse of Temporary cultivation automaticall terminates at the end of lease period-an heir to a decasesdalloteecan not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits.न्यायिक दृष्टांत आर आरटी 2018 पेज 364 के अनुसार A Lease for Temporary cultivation come on an end autom[illegible]n expiry of the term of lease. अर्थात टीसी आवंटन [illegible] है, एक साल के पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन [illegible] ही समाप्त हो जाता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि [illegible] अपीलांट ने कभी अपना टीसी आवंटन पुख्ता करवाने हेतु कभी प्रार्थना पत्र पेश किया त[illegible]ना हीं रकबा पुख्ता आवंटन हुआ। अपीलांट महज टीसी आवंटी है। न्यायिक दृष्टांत आरआरजे 1999 पेज 214 अनुसार टीसी आवंटी को रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें। अपीलांट्स ने जैर अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश एक तरफा आदेश बताकर हस्तगत अपील में अनुतोष चाहा है। जबकि अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में ही एकतरफा आदेश निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थे। अपीलांट्स ऐसे आदेशों के विरूद्व अपीलपेशकरने के अधिकारी नहीं है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलांट्स ने कब्जा काश्त संबंधी दस्तावेजात पेश किये है।टीसी आवंटन नियम 1955 के नियम 4 (ड) के अनुसार टीसी आवंटन निरस्त करने बाबत जिला कलक्टर की शक्तियां तहसीलदार को प्रदान की गई है तथा जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा तहसीसलदार सूरतगढ़ को अधिकृत भी किया गयाहैं। आवंटी को टीसी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त रकबा टीसी आवंटन नहीं किया गया था तथा रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही अराजीराज था एव लगातार कब्जा काश्त के अभाव में रकबा निरस्त योग्य ही था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्तियुक्त , विधिसंगत एवं नियमानुसार ही पारित किया गया है जो यथावत रखने योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखने के आदेश फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के सूरतगढ के ख.न. 444/4 में 6.325 है0, यानि 25.00 बीघा रकबा को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 28.02.1986 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner